11.	गोवा राज्य, सहित महाराष्ट्र	12679
12.	पूर्वोत्तर (अरूणाचलम प्रदेश, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम, नागलैंड व त्रिपुरा के राज्य)	1633
13.	उड़ीसा	5614
14.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित पंजाब	6233
15.	राजस्थान	7704
16.	संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी सहित तमिलनाडु	5507
17.	उत्तर प्रदेश	15761
18.	सिक्किम राज्य सहित पश्चिम बंगाल	3103
19.	संघ शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार	55
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9
	जोड़ः	110732

पेट्रोल पम्प और गैस-एजेंसियों का आवंटन

366.**रामजी लाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

चालू वर्ष के दौरान सरकार ने कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आवंटित की हैं तथा इनके आवंटन का मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में ससंद-सदस्यों की संस्तुति को ध्यान में रखती हैं; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :

(क) से (ग) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.3.1995 के आदेश में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश अनुमोदित किए थे:-

(I) ऐसे व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए उच्चतम बलिदान किया हो, परन्तु जिसका अब तक समुचित रूप से पुनर्वास नहीं किया गया हैं।

(II) ऐसे परिवार का सदस्य जो आतंकवादी आक्रमण, भूकम्प, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार हुआ हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) ड्यूटी के दौरान स्थाई रूप से अपंग हुए रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिक/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी।

(v) अपसामान्य परिस्थितियों में अपने प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात विधवा, माता-पिता, बच्चे।

(vi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(vii) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं

और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(viii) विवेकाधीन आबंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रो के आबंटन सामान्य रूप से 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।

विवेकाधीन आबंटन किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित सामान्य शर्तो के अधीन किए जाएंगेः--

(1) वह भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौंतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होने चाहिए।

(i) पति/पत्नी

(ii) पिता/माता

(iii) भाई

(iv) पुत्र/पुत्रवध

सरकार द्वारा स्वविवेक आधार पर आबंटन करते समय उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा हैं। तदनुसार अनुकंपा आधार पर अप्रैल, 1995 से 22 खुदरा बिक्री डीलरशिपों और 12 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं।

सरकार द्वारा विवेकाधीन आबंटन मूलतः व्यक्तिगत मामलों में गुण-दोष के आधार पर किए जाते हैं। संसद सदस्यों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता हैं।

Pricing of Petroleum Products

367. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of PETROLIUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is fact that in order to neutralise the cumulative deficit in the Oil Pool Fund, there is a proposal to introduce market determined price mechanism for petroleum products. replacing the existing administered price mechanisam;

(b) if so, in what manner, to what extent and within what time frame the proposed scheme will wipe out the deficit;

(c) what have been the recommendations of the Sundarajan Committee and Kelkar panel in the matter of pricing of petroleum products and what action Government have taken on their recommendations; and

(d) which are the petroleum products being subsidised and to what extent?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISITRY OF PEPTROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (c) Sunderarajan Committee report is the input material for the 'Strategic Planning Group' formed for restructuring of the National Oil Indusutry. The report of 'Strategic Planning Group' is awaited.

(d) The estimated subsidy on major petroleum products during 1994-95 is as given below:

	Rs./Crores
HSD	430
SKO (DOM)	3740
LPG (DOM)	1410
NAPHTHA (FERT.)	520
FO (FERT.)	200
LSHS (FERT.)	130
BITUMEN(PACKED)	110
WAX	20
TOTAL:	6560

Awarding of Bombay High Platform Deal Contact to M/s. Essar Oil Ltd.

368. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state: